उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष, 2021)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 में उत्तराखण्ड में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में संशोधन

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के स्पष्टीकरण एक में जहाँ पर भी शब्द ''पाँच लाख'' है, उनके स्थान पर शब्द ''पंद्रह लाख'' प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 में संशोधन

3. बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 की उप–धारा (2) में जहां पर भी शब्द ''एक लाख'' है, उनके स्थान पर शब्द ''तीन लाख'' प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 21 में संशोधन

4. बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 21 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में जहां पर भी शब्द ''पाँच लाख'' है, उनके स्थान पर शब्द ''पंद्रह लाख'' प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

लम्बित कार्यवाहियों की व्यावृत्तिया

5. इस संशोधन अधिनियम की कोई भी बात किसी भी सिविल न्यायालय, जिसमें उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, में पूर्व से संस्थित और लम्बित वाद, अपील अथवा पुनरीक्षण जिस वाद अपील अथवा पुनरीक्षण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता ऐसे न्यायालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व से प्राप्त है, को प्रभावित नहीं करेंगी।

******

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 में संशोधन किये जाने विषयक है।

2– प्रस्तावित विधेयक द्वारा किसी प्रकार की विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 में संशोधन मात्र है।

1. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में संशोधन की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 3 में बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 में संशोधन की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड 4 में बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 21 में संशोधन की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
5. विधेयक के खण्ड 5 में लम्बित कार्यवाहियों की व्यावृत्तिया उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 तथा बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 एवं 21 में संशोधन किये जाने विषयक है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति को कोई भी व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

Memorandum Regarding Delegated Legislation

The proposed bill is subject to the amendment in Code of Civil Procedure, 1908 and the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887.

2- Delegation of legislative power is not proposed in the proposed Bill.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

Financial Memorandum

The proposed Bill is subject to amendment in section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908 and section of 19 and 21 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887.

2- The proposed Bill does not involve any expenditure of recurring and non-recurring nature from Consolidated Fund of the state.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister